

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 649 / 2023

In the matter of :-

Shri Krishan Kashyap ... Applicant


Versus

State of U.P. & Ors. ... Respondents

INDEX

| <u>Sl. No.</u> | <u>Particulars</u> | <u>Page No.</u> |
|----------------|---|-----------------|
| 1. | Reply on behalf of Respondent No.3, Greater Noida Industrial Development Authority. <i>with Affidavit</i> | 1-8 |
| 2. | ANNEXURE R-3/1 Copy of the Letter dated 18 th July 2025 | 9-13 |
| 3. | ANNEXURE R-3/2 Copy of the Letter dated 29 th July 2025 | 14-17 |
| 4. | ANNEXURE R-3/3 Copy of the Letter dated 6 th November 2024 | 18 |

Place: New Delhi
Date: 16.01.2026

Drafted & Filed by:

(SHIVAM SAKSENA)
Advocate for Respondent No.3
210, Lawyers Chamber,
C.K. Daphtary Block,
Supreme Court, New Delhi-01
Ch.: 011 - 23073983
MOB : 99718 85963

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 649 / 2023

In the matter of : -

Shri Krishan Kashyap ... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. ... Respondents

STATUS REPORT ON BEHALF OF
RESPONDENT NO.3,
GREATER NOIDA INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY.

Most Respectfully Showeth:

1. The answering respondent is filing this status report pursuant to the Order dated 16.10.2025.
2. In this Original Application, this Hon'ble Tribunal is considering the issue of discharge of sewage in the river Hindon from Shivam Colony through underground pipeline and encroachment on the floodplains of river Hindon
3. It is submitted that in compliance of this Hon'ble Tribunal's orders, out of approximately 1 lakh square meters, 60,000 square meters of land, was freed from encroachment in the concerned area, by 11.7.2025.

4. For further removal of encroachment and illegal construction, a request letter was sent to the Deputy Commissioner of Police (Headquarters), through letter no. Engineering / Work Circle-1/2025/622 dated 16.09.2025, for provision of police force to aid the conduction of demolition action on 8.10.2025. On the said date, demolition action was carried out in the presence of Irrigation Department team, Police Force, 04 Nos. JCB, 04 Nos. Dumper of Greater Noida Authority, 150 Nos. Officers/Employees and Field Staff of Project Department, Employees and Field Staff of Sewer Department, Officers/Employees of Electricity Department, and approximately 10,000 square meters of land was freed from encroachment in Khasra Nos. 207, 210, 211 and 212.

5. Further the illegal internal sewer pipes laid by the builders / encroachers have been disconnected. Even the electricity connections are being disconnected.

6. The answering respondent has also taken the following steps to ensure that no further encroachment occurs on the floodplain:-

- i) Residents living nearby have been warned that if any construction or encroachment is made in the floodplains of river

Hindon, it must be removed immediately, otherwise demolition proceedings will be initiated. It is also submitted that the Applicant-Shri Krishna Kashyap, has also built a pucca house on the land of Khasra No. 207, falling in the flood plain, and resides there with his family. A Section 10 notice has been issued to the recorded owner of khasra no. 207 for immediate removal of encroachment and illegal construction on the said Khasra.

- ii) Vide letter no. GR.NO./GM (Project)/Miscellaneous/2025/378 dated 18th July 2025, the Sub-Registrar, Sadar, Jewar and Dadri (Gautham Budh Nagar) has been requested to register sale deeds only in respect of agriculture land in accordance with law. A copy of the letter no. GR.NO./GM (Project)/Miscellaneous/2025/378 dated 18th July 2025 is annexed hereto as Annexure R3/1
- iii) Additionally, request has been made, vide letter no. Gr.No./GM (Project)/Miscellaneous/2025/397 dated 29th July 2025, to instruct all the branch managers of banks falling within the Sub-Registrar's jurisdiction to not sanction any loan against plots unless such person presents a copy of the sanctioned layout plan, approved map, and no-objection certificate issued by the Authority. Further, no loan should be provided for construction in illegal

colonies/ slums being developed in an unplanned manner. A copy of the letter no. Gr.No./GM (Project)/Miscellaneous/2025/397 dated 29th July 2025 is annexed hereto as Annexure R3/2

- iv) Vide letter no. Engg./Work Circle-1/2024/600 dated 06.11.2024, written to the Engineer UPPCL, a request has been made for disconnection of electricity and not to give new electricity connections to the houses of the illegal colonies set up in village Haibatpur, falling in the floodplains of River Hindon. A copy of the letter no. Engg./Work Circle-1/2024/600 dated 6th November 2024 is annexed hereto as Annexure R3/3

7. Shivam Enclave Colony, Old Village Haibatpur, is an illegal colony which falls in the floodplains of River Hindon. The said colony lacks internal and external sewer lines, and sewage generated from some of the constructed building is initially being treated through septic tanks built into the buildings, and are finally disposed of through de-sludge tankers. Gray water from kitchens, sinks, bathrooms, and washing machines which was being disposed of through unpaved and paved drains and drainage pipes has been prevented from flowing into the Hindon River as these unpaved and paved drains and drainage pipes have been severed. The

water now goes to the septic tank where from the de-sludging vehicles carry it away.

8. In addition to what has been stated above, the answering respondent submits that in compliance with the orders passed by this Hon'ble Tribunal, any construction/ plotting in the floodplain area is strictly prohibited, and no individual/ organisation/ society has the right to construct/ develop in the floodplain area. It has also come to light that some builder/ colonisers are luring people into buying and selling plots and houses in the submerged area, which is completely illegal. In this regard warning signs have been placed at various locations by the answering respondent, informing that any kind of electricity, water or gas connections are strictly prohibited in this (floodplain) area, and before the sale or purchase of any plot in this area, complete information may be obtained from the relevant work circle of the answering respondent, otherwise the responsibility will lie with the seller and/ or purchaser. Further, field staffs are continuously, over loudspeakers, informing people about the prohibition on buying and selling, and illegal construction, in the floodplain zone.

9. It is submitted that no scheme of any kind has been proposed by the answering respondent- GNIDA, in floodplain area of River Hindon,

falling in the land Village Old Haibatpur. Further, no acquisition or allotment of land, or developmental work of any kind (sewer, road, drain, water supply etc.) has been carried out by the Authority in this floodplain area. Construction of STP/ MPS/ IPS cannot be done in this area. The said illegal colony neither falls within the land acquired by the answering respondent nor has it ever been sanctioned or approved by it. The Authority does not approve any building plans falling in this floodplain or any unplanned area.

It is respectfully prayed that the Status Report along with its annexures may kindly be taken on record.

Respondent No. 3, GNIDA

16.01.2026

Through



SHIVAM SAKSENA
Advocate for Respondent No. 3

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 649 / 2023

In the matter of :-

Shree Krishan Kashyap

... Applicant

Versus

State of U.P. & Ors.

... Respondents

AFFIDAVIT

Most Respectfully Showeth:


I, Prabhat Shankar S/o Shri Rama Shankar Prasad aged about 52 years, office at Plot No.1, Knowledge Park IV, Greater Noida, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I am presently posted as Senior Manager (Project) of the Greater Noida Industrial Development Authority and as such authorised and competent to depose on behalf of the answering Respondent.

I have read a copy of the order dt. 14.10.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in this Original Application and paper book as received in the Office of the said answering Respondent and understood the contents



Prabhat Shankar



thereof. I am competent and authorized to affirm this affidavit on behalf of the answering Respondent.

3. I state that the accompanying reply has been drafted under my instructions. I have read the same and state that the contents thereof are true and correct to my knowledge as derived from the records of the Respondent no. 3, Authority.

4. The Annexure is a true copy of their originals.

Prasa
Shankar

प्रभात शंकर
प्र० वरिष्ठ प्रवच्यक
वर्क सर्किल-1
DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on _____ day of January, 2026 that the factual contents of this Affidavit are true and correct to my knowledge as derived from the records of the case and nothing stated therein is false and nothing material has been concealed there from. The last para is prayer to this Hon'ble Court.

Prasa
Shankar

प्रभात शंकर
प्र० वरिष्ठ प्रवच्यक
वर्क सर्किल-1
DEPONENT



ATTESTED
16/1/2026
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर - नॉलेजपार्क-04, ग्रेटर नौएडा,

जिला - गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रांक: ग्रे0नौ0/जी0एम0(प्रोजेक्ट)/विविध/2025/378

दिनांक: 18 जुलाई, 2025

सेवा में,

सहायक महानिरीक्षक,
निबन्धन (.Jनि0नि0)
स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग
गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

विषय: उप निबन्धक, सदर, जेवर एवं दादरी (गौतमबुद्ध नगर) द्वारा ग्रेटर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से अनियोजित आवासीय कॉलोनियों/स्लम में मूखण्डों के पंजीकरण/बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत फेस-1 के 124 ग्राम तथा फेस-2 के लगभग 140 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लॉन के अनुसार फेस-1 के अधिकांश ग्रामों में विभिन्न सैक्टरों को नियोजित करते हुए औद्योगिक, संस्थागत कामर्शियल एवं आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत मूखण्डों का आवंटन कर उनकी लीजडीड/रजिस्ट्री सम्बन्धी कार्यवाही उप निबन्धक, दादरी/सदर/जेवर, गौतमबुद्ध नगर के माध्यम से करायी जा रही है। ग्रेटर नौएडा के फेस-1 एवं फेस-2 के अधिसूचित ग्रामों का विवरण निम्नवत् है:-

फेस-1 के अधिसूचित ग्राम:-

चिपियाना खुर्द, शाहबेरी, चिपियाना बुजुर्ग, युसुफपुर, हैबतपुर, छपरौला, रोजा याकूबपुर, रोजा जलालपुर, अच्छेजा, मिल्क लच्छी, बादलपुर, सादुल्लापुर, वैदपुरा, सादोंपुर, धूम मानिकपुर, जौन समाना, भोला रावल, सैनी, सुनपुरा, भनौता, खेडी, आमका, रूपवास, किरचपुर, खोदना कला, तिलपता करनवास, श्यौराजपुर, खोदना खुर्द, कैलाशपुर, इटैडा, पतवाड़ी, बिसरख जलालपुर, खैरपुर गुर्जर, एमनाबाद, जलपुरा, खेड़ा चौगानपुर, तुस्याना, कुलेसरा, हल्दौनी, देवला, हबीबपुर, सूरजपुर, छोटी मिलक, सुथियाना, लखनावली, मलकपुर, बेगमपुर, मुबारकपुर, गुर्जरपुर, रोहिल्लापुर, तुगलपुर, हल्दौना, नामोली, चूहडपुर खादर, शफीपुर (केवल शमशान घाट का भाग), रामपुर जागीर, साकीपुर, रसूलपुर, ब्रहमपुर गजरौला, बिरौण्डी चक्रसेनपुर, गुलिस्तानपुर, रामपुर जागीर, साकीपुर, रसूलपुर, ब्रहमपुर गजरौला, बिरौण्डी चक्रसेनपुर, गुलिस्तानपुर, मकौड़ा, थापखेड़ा, चमरावली-बोडाकी, जैतपुर-वैशपुर, जुनपत, हजरतपुर, घोड़ी-बछेड़ा, मथुरापुर, पाली, पल्ला, रायपुर बांगर, अजायबपुर, रिठौरी, डाबरा, मायचा, रामपुर फतेहपुर, अटाइमुरादपुर,

अमरपुर, दादपुर-दनकौर, ननवा का राजपुर, नवादा, खानपुर, हतेवा, दलेलगाढ़, पीपलका
 सूरतपुर, इमलियाका, बागपुर, बिसायच उर्फ बरसात, लडपुरा, डाढा, सिरसा, घरबरा, बूढा
 घरबरा, झालडा, मुरशिदपुर, लुक्सर, पोवारी, कासना, नटों की मढैया, पचायतन, घंघोला,
 चीरसी, रघुनाथपुर, देवटा, अस्तौली, आजमपुर गढी, गिरधरपुर, बिरोण्डा, ऐच्छर, बल्ला की
 मढैया, जुनेदपुर, चचूला, रोशनपुर, तालडा, कनारसा कनारसी, रामसिंह की मढैया, समसपुर,
 तिलवाडा, मंगत की मढैया, सलेमपुर गुर्जर, रोनी, ऐमनाबाद उर्फ नियाना, कुलीपुरा, रामपुर
 माजरा, पतलाखेडा, जानीपुरा, बुलन्दखेडा, मण्डी श्यामनगर, इसेपुर, क्यामपुर एवं खेरली
 हाफिजपुर।

फेस-2 के अधिसूचित ग्राम:-

बिश्नूली, बादलपुर, बम्बावड, आकिलपुर जागीर, जैतवारपुर नवारपुर, इस्लामाबाद कल्दा, चक
 सीदीपुर, अमापुर लोधा, छौना, नगला उदयरामपुर, कहरी सुथारी, अच्छेजा, जौन समाना,
 चिपियाना बुजुर्ग (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), सादुल्लापुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), रोजा
 जलालपुर, कूडी खेडा, छपरौला, मसूरी (नहर का पूर्वी भाग), नूरपुर, खडेरा, उपलारसी,
 चकसेनपुर उर्फ धनवास, मायचा (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), औरंगाबाद, छौलस, अजायबपुर
 (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), मीरपुर माजरा, बैनीपुर, कलौंदा, गैसपुर, फतेहपुर लाडलाबास,
 गाजीवीरपुर, हजरतपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), जॉरचा, जमालपुर, लाथौर, सादोपुर,
 बिसाहडा, चमरावली बोडाकी (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), बढपुरा, चिटहैरा, मुथियानी, नगला
 किरवानी, महउददीनपुर उर्फ गारवपुर, सीदीपुर, पटाढी, ततारपुर, रानौली लतीफपुर, सलारपुर
 कला, तामौलीपुर, आमका (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), उंचा अमीरपुर, रसूलपुर डासना, प्यावली
 ताजपुर, रूपवास (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), पल्ला (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), इरादतपुर
 उर्फ राजतपुर, दादपुर खटाना, खगोडा, गुलावटी खुर्द, दादरी (नगर पालिका परिषद की सीमा
 को छोडकर), धूममानिकपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), कटैडा, लाथोर, निधौली, किराचपुर
 (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), खटाना धीरखेडा, गोरधनपुर, रावली, देहरा, दौलतपुर धीकडी,
 ककराना, जादोपुर, धौलाना, बासतपुर, सौलाना, लालपुर, नन्दलालपुर, कपूरपुर नगला छज्जू,
 नगला गज्जू, नगला काशी, सपना, अगवाना, सुखदेवपुर, पारपा, इकलेडी, भावा, भूडिया,
 कृपानगर उर्फ बीघेपुर, औरंगाबाद, सनौता, कुरली, भटौना, भोगपुर, रोहनपुर, क्यामपुर,
 दाहिरपुर रज्जाकपुर, छज्जुपुर, सिरोधन, मटनावली, नरैना, बजेडा कला, मुरादपुर माजरा,
 सादिकपुर, अकडौली, फाजिलपुर उर्फ मीरपुर, धरमपुर-15 बिस्वा, शहाबुदीन नगर, धरमपुर-5
 बिस्वा, हरसिंगपुर, ब्रजनाथपुर, मिर्जापुर पट्टी, सालेपुर कोटला, मीरपुर खुदियाला, कुराना,
 बडौदा सिहानी, अब्दुल्लापुर मोडी, चचोई, डहाना, हाफिजपुर उबारपुर, लतीफपुर माजरा
 सपनावत, डोमा टीकरी, सपनावत, मुरसदपुर, नवादा, भटियाना, नान, रूठारी, आलमपुर,
 अहमदपुर - नयागाँव, शाहपुर फगौना, करीमपुर भाईपुर, नारायणपुर कास्का, सिवाया, करनपुर
 जादरी, बझैडा खुर्द, नन्दपुर, कमरुद्दीन नगर।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-9 व 10 में निहित प्राविधानों के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी भूमि (ग्राम की पुरानी आबादी को छोडकर) मास्टर प्लॉन में निहित भू-उपयोग के सापेक्ष नियोजित करने एवं उसे विकसित कर विक्रय करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है, जिसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा अभी तक

फेस-1 के अन्तर्गत अधिसूचित 124 ग्रामों की भूमि पर सैक्टरों का नियोजन कर औद्योगिक, संस्थागत कामर्शियल एवं आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों का आवंटन एवं विकास की कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त ग्रामों की कुछ भूमि पर अभी प्राधिकरण द्वारा नियोजन की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही भूमि का अधिग्रहण किया गया है, परन्तु यह समस्त भूमि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जिसके ऊपर प्राधिकरण की महायोजना एवं नियम प्रभावी हैं।

प्रायः यह देखने में पाया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जो भूमि अभी तक अधिग्रहीत नहीं की गयी है, उनके भू-स्वामियों द्वारा भू-माफियाओं/बिल्डरों को सहारा लेकर बिना विकास किये तथा प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से छोटे-छोटे भूखण्ड काटकर देची जा रही है एवं उप निबन्धन कार्यालय द्वारा उनका बैनामा किया जा रहा है, जिसके कारण प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आ गयी है, जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं प्राधिकरण का काफी समय बर्बाद हो रहा है तथा ऐसे अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण हेतु प्राधिकरण द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: ग्रे0नौ0/अ0 मु0 का0 अ0 (पी0)/2025/300, दिनांक 05.06.2025 एवं ग्रे0नौ0/अ0मु0का0अ0(पी0)/2025/299, दिनांक 05.06.2025 के द्वारा एक रोस्टर निर्धारित कर पुलिस बल की माँग करते हुए पुलिस बल उपलब्ध होने पर ध्वस्तीकरण की जा रही है तथा आगे भी निरन्तर कार्यवाही प्रस्तावित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि भूमि का बैनामा आवासीय प्रयोजन हेतु छोटे-छोटे भूखण्डों के रूप में किये जाने से इन भूखण्डों के विरुद्ध बैंकों द्वारा भी ऋण प्रदान कर दिया जा रहा है, जिससे यह भूखण्डकर्ता भूखण्ड के ऊपर अवैध रूप से अपने भवनों का निर्माण कर लेते हैं तथा ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान ऐसे अवैध भवनों को ध्वस्त किये जाने से न्यूनतम आय वाले व्यक्तियों पर दौहरी मार पड़ रही है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में ग्राम हैबतपुर (शिवम एन्क्लेव) एवं अन्य अवैध निर्माणों के विरुद्ध दायर वाद संख्या: ओ0ए0-649/2023 में मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 29.11.2024 की सुनवाई में आदेश पारित किये गये हैं, जिसकी छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है। इस आदेश के मुख्य बिन्दु संख्या- 4/5/6 में निम्न निर्देश दिये गये हैं:-

“4. On the issue of removal of encroachment from the flood plan, learned Senior Counsel appearing for Greater Noida Development Authority has submitted that a meeting was held on 09.10.2024 between officers of Greater Noida Development Authority and Irrigation Department of State of UP wherein the Executive Engineer of Irrigation Department took stand that the removal of encroachment from the flood plain of river Hindon falling within the area of Greater Noida Authority is the sole responsibility of Greater Noida Development Authority. The said stand was taken by him placing reliance upon the G.O. dated 16.03.2010.

5. Learned Counsel for the State of UP does not dispute that it is the joint responsibility of the authorities of State as also the Greater Noida Authority to ensure the removal of the encroachment/unauthorized construction from the flood plain zone of river Hindon.

6. Hence, we direct the authorities to make joint efforts to ensure removal of encroachment from the floodplain zone of river Hindon. Let further progress report be filed within eight weeks.”

इस प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) द्वारा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र/डूब क्षेत्र में किसी भी निर्माण को अवैध मानते हुए उन्हें ध्वस्त करने का आदेश देते हुए डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण निषिद्ध माना गया है। मा० एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.07.2025 को ग्राम हैबतपुर (शिवम एन्क्लेव) में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है, जिसमें ऐसे ही भूखण्डों पर निर्मित अवैध भवन प्रभावित हुए हैं।

यहाँ यह भी अवगत कराया जाना है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-9 व 10 के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र में भूखण्डों को नियोजित करते हुए उन्हें विकसित करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण में निहित है ना कि किसी अथवा व्यक्ति अथवा संस्था को, किसी भी भूमि के बैनामा भूखण्ड के रूप में तभी हो सकते हैं, जब वह भूमि/भूखण्ड किसी वैधानिक संस्था/प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया हो, अन्यथा की स्थिति में भूमि के बैनामो का खतौनी में दर्ज भू-उपयोग के क्रम में ही पंजीकरण हो सकता है।

यहाँ यह भी संज्ञानित कराना समीचीन होगा कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन की सामान्य परिभाषाओं के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए न्यूनतम भूमि का कोई निर्धारित मानक नहीं है, लेकिन सामान्यतः 01 हैक्टेयर से कम भूमि को छोटा जोत माना जाता है हॉलांकि 1.0 एकड़ (0.4 हैक्टेयर) से कम भूमि को आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसपर खेती करना मुश्किल होता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 0.4 हैक्टेयर भूमि से कम भूमि पर कृषि किया जाना सम्भव नहीं है फिर भी कृषि के भू-उपयोग में निबंधन कार्यालय द्वारा 60-60 गज की भूमि के पृथक-पृथक बैनामे किये जा रहे हैं तथा छोटे खण्डों के सामने की भूमि जो कृषि का भाग है, को रास्ते के रूप में दर्शित करते हुए उनकी चौहद्दी भी अंकित की जा रही है, जोकि पूर्णतः नियमों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण पर अकुंश लगाये जाने हेतु शासन द्वारा लगातार निर्देश दिये जा रहे हैं परन्तु ऐसी अवैध भूमि/भूखण्डों में निबंधन कार्यालय द्वारा बैनामा किये जाने से अवैध निर्माण को और बढ़ावा मिल रहा है तथा अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियाँ स्लम एरिया के रूप में प्रदेश में एक धब्बे के रूप में अपनी छाप छोड़ रहा है। अतः जनहित में उचित होगा कि निबंधन कार्यालय द्वारा जिस उपयोग में भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उसी उपयोग में भूमि का पंजीकरण/बैनामा किया जाए, क्योंकि किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में वहाँ की महायोजना के अनुरूप भू-उपयोग निर्धारित करने का अधिकार सम्बन्धित रेगुलेटरी अथॉरिटी/प्राधिकरणों में निहित है। निबंधन कार्यालय द्वारा कृषि भूमि के ऊपर अवैध रूप से आवासीय भूखण्डों का पंजीकरण/बैनामा करने से प्राधिकरण की महायोजना पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भूमि की खतौनी में दर्ज श्रेणी के अनुसार बैनामे को निष्पादित किये जाने की कार्यवाही में आपका सहयोग इन अवैध कॉलोनियों/स्लम के रूप में हो रही लगातार वृद्धि पर रोक लगाये जाने में मील का पत्थर साबित होगा।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि प्रदेश सरकार की समग्र विकास की भावनाओं/अपेक्षाओं एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिये जा रहे आदेशों के क्रम में ग्रेटर नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में खसरा-खतौनी में दर्ज भूमि की श्रेणी में ही कृषि भूमि के व्यवहारिक मानकों के अनुरूप भूमियों में बैनामों की कार्यवाही किये जाने हेतु उप निबंधक, सदर, जेवर एवं दादरी (गौतमबुद्ध नगर) को यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें, जिससे कि अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों/स्लम पर रोक लगायी जा सके तथा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप औद्योगिक शहर की स्थापना हो सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(50 के0 सिंह)
महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि:—

- स्टॉफ ऑफीसर को मा0 अध्यक्ष महोदय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के सादर संज्ञानार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव महोदय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव महोदय, उर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- महानिरीक्षक महोदय, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस आयुक्त महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
- जिलाधिकारी महोदय, गौतम बुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0एस0/एस0के0/पी0/एल0/एस0वाई) महोदय/महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यू0पी0 रेरा) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गौतमबुद्ध नगर, ई-204, सैक्टर-2, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वितरण (तकनीकी), नौएडा पॉवर कम्पनी लिमिटेड, विद्युत सब स्टेशन, नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नौएडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबन्धक (परियोजना)



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सैक्टर - नॉलेंजपार्क-04, ग्रेटर नौएडा,
जिल्हा - गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक: ग्रे०नौ०/जी०एम०(प्रोजेक्ट)/विविध/2025/397

दिनांक: 29 जुलाई, 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक / City Head Mortgage,
आई०सी०आई०सी०आई० बैंक लिमिटेड
ब्लॉक सी-1, 19वाँ तल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर
सैक्टर-16, नौएडा - 201301
गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र (क्षेत्रीय कार्यालय)
बी-192/ए, सैक्टर-52,
नौएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
एच०डी०एफ०सी० बैंक
सी-1, कामर्शियल बेल्ट, ब्लॉक-ई,
सैक्टर अल्फा-1, ग्रेटर नौएडा-201306,
गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
केनरा बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
सैक्टर-1, नौएडा
गौतमबुद्ध नगर-201301 (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
बैंक ऑफ बडौदा (क्षेत्रीय कार्यालय)
इंरकान इण्टरनेशनल लिमिटेड बिल्डिंग
प्रथम तल, प्लॉट नं० बी-40ए, सैक्टर-1
नौएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
बैंक ऑफ इण्डिया (क्षेत्रीय कार्यालय)
प्लॉट नं० बी-32, सैक्टर-62,
नौएडा-201307, गौतमबुद्ध नगर (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यूको बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
05, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
आई०डी०एफ०सी० फस्ट बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
द्वितीय तल, एक्सप्रेस बिल्डिंग,
9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग
दिल्ली-110002

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
इण्डियन ओवसीज बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
नियर मेन गेट एन०एच०पी०सी० कॉम्प्लैक्स
प्रथम एवं द्वितीय तल, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
आई०डी०बी०आई० बैंक लि० (क्षेत्रीय कार्यालय)
नवां तल, प्लेट बी, ब्लॉक 2
एन०बी०सी०सी० कार्यालय कॉम्प्लैक्स
ईस्ट किदवाई नगर, नई दिल्ली-110023

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
इंडियन बैंक (क्षेत्रीय कार्यालय)
रिसॉर्सेज एक्यूजेशन सैक्टर नौएडा
जोनल कार्यालय बिल्डिंग, चतुर्थ तल
डी-211/2, सैक्टर-61,
नौएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 (उ०प्र०)

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (क्षेत्रीय कार्यालय)
प्लॉट नं०-334/350, द्वितीय व
नियर जोशी अस्पताल एवं जोशी रोड
खजूर रोड, करोलबाग, दिल्ली-110005

विषय: ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कृषि भूमि के ऊपर अनियोजित रूप से अवैध निर्माण/आवासीय कॉलोनियों/स्लम में निर्माण के सापेक्ष ऋण अनुमन्य/निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, की अधिसूचना संख्या: 7436भाउ/18-11-107भा/85, दिनांक 28 जनवरी, 1991 के द्वारा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया हुआ है, जिसके अन्तर्गत फेस-1 के 124 ग्राम अधिसूचित किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

फेस-1 के अधिसूचित ग्राम:-

चिपियाना खुर्द, शाहबेरी, चिपियाना बुजुर्ग, युसुफपुर, हैबतपुर, छपरौला, रोजा याकूबपुर, रोजा जलालपुर, अच्छेजा, मिल्क लच्छी, बादलपुर, सादुल्लापुर, वैदपुरा, सादोंपुर, धूम मानिकपुर, जौन समाना, भोला रावल, सैनी, सुनपुरा, भनौता, खेडी, आमका, रूखवास, किरचपुर, खोदना कला, तिलपता करनवास, शंभाराजपुर, खोदना खुर्द, कैलाशपुर, इटैडा, पतकाड़ी, बिसरख जलालपुर, खैरपुर गुर्जर, एमनाबाद, जलपुरा, खेड़ा चौगानपुर, तुस्थाना, कुलेसरा, हल्दौनी, देवला, हबीबपुर, सूरजपुर, छोटी मिलक, सुथियाना, लखनावली, मलकपुर, बेगमपुर, मुबारकपुर, गुर्जरपुर, रोहिल्लापुर, तुगलपुर, हल्दौना, नामोली, चूहडपुर खादर, शफीपुर (केवल शमशान घाट का भाग), रामपुर जागीर, साकीपुर, रसूलपुर, ब्रहमपुर गजरौला, बिरौण्डी चक्रसेनपुर, गुलिस्तानपुर, रामपुर जागीर, साकीपुर, रसूलपुर, ब्रहमपुर गजरौला, बिरौण्डी चक्रसेनपुर, गुलिस्तानपुर, मकौड़ा, थापखेड़ा, चमरावली-बोडाकी, जैतपुर-वैशपुर, जुनपत, हजरतपुर, घोड़ी-बछेड़ा, मथुरापुर, पाली, पल्ला, रायपुर बांगर, अजायबपुर, रिठौरी, डाबरा, मायचा, रामपुर फतेहपुर, अटाइमुरादपुर, अमरपुर, दादूपुर-दनकौर, ननवा का राजपुर, नवादा, खानपुर, हतेवा, दलेलगढ़, पीपलका सूरतपुर, इमलियाका, बागपुर, बिसायच उर्फ बरसात, लडपुरा, डाढा, सिरसा, घरबरा, बूढा घरबरा, झालडा, मुरशिदपुर, लुक्सर, पोवारी, कासना, नटों की मढैया, पचायतन, घंघोला, चीरसी, रघुनाथपुर, देवटा, अस्तौली, आजमपुर गढी, गिरधरपुर, बिरौण्डा, ऐच्छर, बल्ला की मढैया, जुनेदपुर, चचूला, रोशनपुर, तालडा, कनारसा कनारसी, रामसिंह की मढैया, समसपुर, तिलवाडा, मंगत की मढैया, सलेमपुर गुर्जर, रोनी, एमनाबाद उर्फ नयाना, कुलीपुरा, रामपुर माजरा, पतलाखेडा, जानीपुरा, बुलन्दखेडा, मण्डी श्यामनगर, इसेपुर, क्यामपुर एवं खेरली हाफिजपुर।

तदोपरान्त औद्योगिक विकास विकास अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की अधिसूचना संख्या: 3146/LXXVII-42006-214भा0-05, दिनांक 14.06.2006 एवं अधिसूचना संख्या: 2137/77-4-10-214भा0-05, दिनांक 25.10.2010 के द्वारा ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण अन्तर्गत फेस-2 के लगभग 140 ग्रामों को अधिसूचित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

फेस-2 के अधिसूचित ग्राम:-

बिश्नूली, बादलपुर, बम्बावड, आकिलपुर जागीर, जैतवारपुर नवारपुर, इस्लामाबाद कल्दा, चक सीदीपुर, अमापुर लोधा, छौना, नगला उदयरामपुर, कहरौ सुथारी, अच्छेजा, जौन समाना, चिपियाना बुजुर्ग (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), सादुल्लापुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), रोजा जलालपुर, कूडी खेडा, छपरौला, मसूरी (नहर का पूर्वी भाग), नूरपुर, खडेरा, उपलारसी, चक्रसेनपुर उर्फ धनवास, मायचा (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), औरंगाबाद, छौलस, अजायबपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), मीरपुर माजरा, बैनीपुर, कलौंदा, गैसूपुर, फतेहपुर लाडलाबास, गाजीवीरपुर, हजरतपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), जॉरचा, जमालपुर, लाथौर, सादोपुर, बिसाहडा, चमरावली बोडाकी (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), बढपुरा, चिटहैरा, मुथियानी, नगला किरवानी, महउद्दीनपुर उर्फ गारवपुर, सीदीपुर,


पटाढी, ततारपुर, रानौली लतीफपुर, सलारपुर कला, तामौलीपुर, आमका (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), उंचा अमीरपुर, रसूलपुर डासना, प्यावली ताजपुर, रूपवास (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), पल्ला (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), इरादतपुर उर्फ राजतपुर, दादुपुर खटाना, खगोडा, गुलावटी खुर्द, दादरी (नगर पालिका परिषद की सीमा को छोड़कर), धूममानिकपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), कटैढा, लाथोर, निधौली, किराचपुर (रेलवे लाईन का पूर्वी भाग), खटाना धीरखेडा, गोरधनपुर, रावली, देहरा, दौलतपुर धीकडी, ककराना, जादोपुर, धौलाना, बासतपुर, सौलाना, लालपुर, नन्दलालपुर, कपूरपुर, नगला छज्जू, नगला गज्जू, नगला काशी, समाना, अगवाना, सुखदेवपुर, पारपा, इकलेडी, भावा, भूडिया, कृपानगर उर्फ बीघेपुर, औरंगाबाद, सनौता, कुरली, भटौना, भोगपुर, सोहनपुर, क्यांमपुर, दाहिरपुर रज्जाकपुर, छज्जुपुर, शिरोधन, मटनावली, नरैना, बजेढा कला, मुरादपुर माजरा, सादिकपुर, अकडौली, फाजिलपुर उर्फ मीरपुर, धरमपुर-15 बिस्वा, शहाबुदीन नगर, धरमपुर-5 बिस्वा, हरसिंगपुर, ब्रजनाथपुर, मिर्जापुर पट्टी, सालेपुर कोटला, मीरपुर खुदियाला, कुराना, बंडौदा सिहानी, अब्दुल्लापुर मोडी, चचोई, उहाना, हाफिजपुर उबारपुर, लतीफपुर माजरा सपनावत, डोमा टीकरी, सपनावत, मुरसदपुर, नवादा, भटियाना, नान, रूठारी, आलमपुर, अहमदपुर-नयागॉव, शाहपुर फगौना, करीमपुर भाईपुर, नारायणपुर कास्का, सिवाया, करनपुर जादरी, बझैडा खुर्द, नन्दपुर, कमरुद्दीन नगर।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-9 व 10 में निहित प्राविधानों के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी भूमि (पुरानी ग्रामीण आबादी को छोड़कर) मास्टर प्लान में निहित भू-उपयोग के सापेक्ष नियोजित करने एवं उसे विकसित कर विक्रय करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित है, जिसके सापेक्ष प्राधिकरण द्वारा अभी तक फेस-1 के अन्तर्गत अधिसूचित 124 ग्रामों की भूमि पर सैक्टरों का नियोजन कर औद्योगिक, संस्थागत कामर्शियल एवं आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत भूखण्डों का आवंटन एवं विकास की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर आवंटी द्वारा प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होती है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में अन्य कोई निर्माण (पुरानी ग्रामीण आबादी को छोड़कर) हो रहा है, तो वह अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है, जिसे प्राधिकरण द्वारा कालान्तर में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया जाता है।

प्रायः यह देखने में पाया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जो भूमि अभी तक अधिग्रहीत नहीं की गयी है, उनके भू-स्वामियों/कृषकों/भू-माफियाओं/बिल्डरों के एक गिरोह द्वारा भोली-भाली अल्प एवं मध्यम वर्गीय जनता को बहला-फुसलाकर व गुमराह कर उन्हें छोटे-छोटे भूखण्डों के रूप में बिना विकास किये विक्रय कर उनके बँनामे किये जा रहे हैं। इन भूखण्डों के सापेक्ष आपके बैंकों द्वारा जनता को ऋण भी प्रदान कर दिया जा रहा है, जबकि जिस भूमि को बंधक के रूप में रखा जा रहा है, उनके बँनामे ही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि प्राधिकरण के अधिसूचित भूमि को आवासीय भूखण्ड के रूप में पंजीकृत करने का अधिकारी सिवाय प्राधिकरण को छोड़ अन्य किसी संस्था/व्यक्ति को नहीं है, फिर भी कुछ बैंकों द्वारा प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत करायें एवं बिना प्राधिकरण की अनुमति के उन्हें ऋण प्रदान किया जा रहा है, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा-10 के अन्तर्गत ऐसे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाना है, जिसके दृष्टिगत एक तो बैंकों द्वारा दी जा रही धनराशि का दुरुप्रयोग हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश एवं राष्ट्र को आर्थिक हानि हो रही है, ऐसे अनाधिकृत अवैध भूखण्डों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण से प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में एक बेतहाशा रूप से स्लम की वृद्धि हो रही है जिसमें

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि अपने बैंक के सभी शाखा प्रबन्धकों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्डों पर निर्माण हेतु कोई भी व्यक्ति जब तक अनुमोदित ले-आउट प्लॉन के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र की प्रति एवं प्राधिकरण की अनापत्ति बैंक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता, तब तक ऐसे भूखण्डों के सापेक्ष किसी भी प्रकार का ऋण निर्गत न किया जाए अर्थात् अनियोजित रूप से विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों/स्लम में निर्माण के सापेक्ष किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान न किया जाए। इस दिशा में आपका यह सहयोग भोली भाली अल्प एवं मध्यम वर्गीय जनता को इन भू-माफियों/अवैध बिल्डरों के गिरोह से बचाने में अत्यन्त प्रभावी होगा तथा बढ़ते हुए अवैध स्लम को रोकने में सहायक होगा तथा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप औद्योगिक शहर की स्थापना हो सके।


भारतीय,


(ए.के. सिंह)

महाप्रबन्धक (परियोजना)

प्रतिलिपि:-

- प्रमुख सचिव महोदय, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव महोदय, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमुख सचिव महोदय, उर्जा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- पुलिस आयुक्त महोदय, गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- स्टॉफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
- महानिरीक्षक महोदय, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- जिलाधिकारी महोदय, गौतम बुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस0एस0/एस0के0/पी0/एल0/एस0वाई) महोदय/महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यू0पी0 रेरा) को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, गौतमबुद्ध नगर, ई-204, सैक्टर-2, ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वितरण (तकनीकी), नौएडा पॉवर कम्पनी लिमिटेड, विद्युत सब स्टेशन, नॉलेजपार्क-4, ग्रेटर नौएडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


महाप्रबन्धक (परियोजना)

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

276

कार्यालय प्लॉट नं० 1, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: अभियन्त्रण/वर्क सर्किल-1/2024/600

दिनांक: 06/11/2024

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
यू०पी०पी०सी०एल० (विद्युत सब-स्टेशन)
सैक्टर टेकजोन-4 (इटहैरा)
जिला-गौतमबुद्ध नगर ।

विषय:-हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में ग्राम हैबतपुर के विभिन्न खसरों पर अवैध रूप से बसाई गयी कालौनी के मकानों पर विद्युत विच्छेदन एवं नये विद्युत संयोजन न दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के ग्राम हैबतपुर (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या-184, 198, 202, 199, 200, 196, 211, 195, 201, 180/3म, 180/3, 180/2, 191, 194, की भूमि पर अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से शिवम एन्कलेव नाम की कालोनी के नाम से प्लाटिंग कर चारदीवारी, पक्के मकान एवं टीन शेड आदि का निर्माण किया गया है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा समस्त अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अन्तर्गत नोटिस प्रेषित किये गये थे, परन्तु नोटिस में दी गयी समयवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा किये गये अवैध निर्माण को स्थल से हटाया नहीं गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के ग्राम हैबतपुर (डूब क्षेत्र) पूर्व में दिये गये विद्युत संयोजनों को विच्छेदित करने व भविष्य में उक्त खसरों पर कोई भी नये विद्युत संयोजन न दिये जाने हेतु भी सम्बन्धित को निदेशित करने का कष्ट करें।

(रतिक)

प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-1

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. स्टॉफ आफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस०के०/एल०) महोदय/महोदया के सादर अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सादर सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (ई०एण्ड०एम०-1) को इस आशय के साथ कि सम्बन्धित विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त खसरों की भूमि पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. थानाध्यक्ष, थाना बिसरख को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सम्बन्धित प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, वर्क सर्किल-1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



प्र० वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-1